

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 199/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी-बोथिया जागीर तहसील व जिला बाड़मेर		1. धनसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी सीताराम की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. पपू पत्नी बागसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बीसुकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार शिव

उपरिष्ठत :- अधिवक्ता वादी - श्री देवीलाल कुमावत।



—:: निर्णय ::—

दिनांक : 12.02.2026

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बीसुकला के ग्राम बीसुकला के खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 131684 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित सा. बोथिया जागीर तह. बाड़मेर	बीसुकला	6	12.4368	बा.दो.	-	हरा
2	धनसिंह पुत्र बागसिंह, पपू पत्नी बागसिंह जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	बीसुकला	6	0.7316	बा.दो.	-	गुलाबी

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(बाड़मेर)
[QR Code]

निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
(बाड़मेर)

डिक्री पचा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 199/2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बोथिया जागीर तहसील व जिला बाड़मेर		1. धनसिंह पुत्र बागसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी सीताराम की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. पपू पत्नी बागसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बीसुकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री देवीलाल कुमावत।



--: अंतिम डिक्री :-

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
दिनांक : 12.02.2026

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत द्वारा आज सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल बीसुकला के ग्राम बीसुकला के खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 13.1684 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	तेजसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित सा. बोथिया जागीर तह. बाड़मेर	बीसुकला	6	12.4368	बा.दो.	-	हरा
2	धनसिंह पुत्र बागसिंह, पपू पत्नी बागसिंह जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	बीसुकला	6	0.7316	बा.दो.	-	गुलाबी

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय एवं डिक्री पर्चा का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) शिव (बाड़मेर)